कार्यालय
जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, लातेहार

पत्रांक 956/विकास

प्रेषक :-

कमल किशोर सोन, भा.प्र.से.
उपायुक्त सह जिला कार्यक्रम समन्वयक, 'राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना', लातेहार।

सेवा में,

सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी सह प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, (राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना), लातेहार जिला।

लातेहार, दिनांक 11.05.2006

विषय :- 'राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना' **National Rural Employment Guarantee Programme** के अंतर्गत योजनाओं के चयन एवं कियान्वन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में आपको विदित है कि ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार तथा ग्रामीण विकास विभाग, झारखंड सरकार के द्वारा दिये गये निदेश के अनुसार लातेहार जिला में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना' **National Rural Employment Guarantee Programme** का संचालन किया जा रहा है।

इस योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2006-07 के प्रारंभिक चरण में आगामी वर्षा ऋतु को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकता के आधार पर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवारों (विशेषकर सभी आदिम जाति परिवारों हेतु) के व्यक्तिगत आर्थिक उन्नयन हेतु भूमि विकास/जल संवर्धन एवं फलदार वृक्षारोपण व जेट्रोफा, स्टीविया, करंज, कुसुम, आंवला, बेर, अमरूद, बांस आदि पौधारोपण आदि हेतु योजनाएं ली जानी है तथा ***पूर्व वर्णित योजनाओं के प्राथमिकता के आधार पर चयन के पश्चात् ही*** आदिम जनजातियों की जनसंख्या वाले पथविहीन ग्रामों व टोलों में संपर्क पथ 'ग्रेड-1' निर्माण कार्य का कियान्वन कराया जाना है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवारों (विशेषकर सभी आदिम जाति परिवारों हेतु) के व्यक्तिगत आर्थिक उन्नयन हेतु चयनित योजनाओं में भी उस ग्राम के सभी निबंधित श्रमिकों को कार्य का अवसर प्रदान किया जायेगा, हालांकि परिसंपत्ति सृजन के पश्चात् भू-स्वामी ही परिसंपत्ति के मालिक होंगे व देखरेख का उनका दायित्व होगा। **इन सभी योजनाओं का राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के दीर्घकालिक योजना (Perspective Plan) में शामिल रहना आवश्यक है।**

योजनाओं के कियान्वन के संबंध में निम्न शर्तों का पालन आवश्यक है:-

- ✓ योजनाओं की स्वीकृति प्रत्येक राजस्व ग्राम के लिये प्रदान की जायेगी, लेकिन नयी योजना का कार्यान्वन तभी प्रारंभ किया जायेगा, जब उस ग्राम के अंतर्गत पूर्व से संचालित राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना'(NFFWP) एवं 'संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना'(SGRY) के अंतर्गत स्वीकृत एवं कियान्वित योजना लंबित न हो तथा उनमें किसी प्रकार का मानव दिवस शेष न हो।

- ✓ योजनाओं का कियान्वन ग्राम सभा की सहमति या बहुमत के आधार पर **उस ग्राम की महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा ही** कराया जायेगा।

- ✓ प्रत्येक ग्राम में महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा संपादित कराये जाने वाले योजना के पर्यवेक्षण व अनुश्रवण हेतु योजनावार एक सात सदस्यीय निगरानी व अनुश्रवण समिति का भी गठन किया जायेगा,जिसमें कम से कम तीन सदस्यों का अनुसूचित जनजाति वर्ग व कम से कम दो सदस्यों का अनुसूचित जाति वर्ग से होना अनिवार्य है। इन सात सदस्यों में से कम से कम चार सदस्यों का महिला होना आवश्यक है। इन चार महिलाओं में से एक साक्षर/शिक्षित महिला समिति की संयोजिका होगी। **निगरानी व अनुश्रवण समिति का कोई भी सदस्य योजना कार्यान्वन हेतु चयनित महिला स्वयं सहायता समूह का सदस्य नहीं होगा या होगी। साथ ही निगरानी व अनुश्रवण समिति के सभी सदस्यों का रोजगार गारंटी कार्ड धारी (Job Card Hoder) होना अनिवार्य है।**

- ✓ योजना कार्यान्वन हेतु महिला स्वयं सहायता समूह के चयन हेतु एवं योजनावार निगरानी व अनुश्रवण समिति के चयन हेतु प्रत्येक राजस्व ग्राम में दिनांक 26/05/2006 को ग्राम सभा का आयोजन किया जायेगा। इस ग्राम सभा की अध्यक्षता संबंधित ग्राम के प्राधिकृत ग्राम प्रधान ही करेंगे। साथ ही बैठक की कार्यवाही का लेखा जोखा ग्राम कोषाध्यक्ष द्वारा तैयार किया जायेगा तथा बैठक की कार्यवाही की पूर्ण विवरणी दिनांक 28/05/2006 तक संबंधित प्रखंड कार्यकम पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी को सौंप दिया जायेगा,ताकि दिनांक 29/05/2006 के पश्चात् किसी भी दिन कार्य प्रारंभ किया जा सके।

- ✓ कार्यान्वन हेतु चयनित महिला स्वयं सहायता समूहों के अध्यक्षों एवं सचिवों का भी कार्य पूर्व प्रशिक्षण प्रखंड स्तर पर दक्ष स्वयं सेवी संस्थओं के सहयोग से कराया जायेगा, जिसका दायित्व उप विकास आयुक्त,लातेहार व उस प्रखंड हेतु जिला से प्रतिनियुक्त वरीय प्रभारी का होगा।

- ✓ ग्राम प्रधान या कोषाध्यक्ष के चयन/मनोनयन में किसी प्रकार के विवाद का निष्पादन दिनांक 26/05/2006 से पूर्व किया जाना प्रखंड विकास पदाधिकारी का दायित्व होगा, लेकिन बारंबार ग्राम सभा आयोजन के पश्चात् भी ग्राम में विवाद रहने पर ग्रामवासी जवाबदेह होंगे तथा योजनाओं का कियान्वन ग्रामवासियों द्वारा विवाद के निपटारे के पश्चात् ही किया जायेगा।

- ✓ इसी ग्राम सभा में ही पंचायती राज विभाग के द्वारा प्रदत्त प्रत्येक ग्राम सभा हेतु प्रदत्त 50,000/- के नियमानुसार उपयोग हेतु भी निर्णय लिया जायेगा तथा कियान्वन हेतु भी महिला स्वयं सहायता समूह का चयन किया जायेगा।

- ✓ ग्राम सभा के आयोजन से पूर्व ग्राम प्रधानों, कोषाध्यक्षों एवं पंचायत व प्रखंड स्तरीय पर्यवेक्षकों हेतु प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम उस प्रखंड हेतु जिला से प्रतिनियुक्त वरीय प्रभारी की देख रेख में दिनांक 22/05/2006 को आयोजित किया जायेगा, ताकि ग्राम सभा आयोजन से पूर्व सभी संबंधित व्यक्ति अपने दायित्वों के संबंध में पूर्ण रूप से अवगत हो जावें।

- ✓ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के दीर्घकालिक योजना (Perspective Plan) में शामिल योजनाओं में से प्रत्येक राजस्व ग्राम हेतु योजनाओं का चयन किया जायेगा तथा योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति के साथ पूर्ण अभिलेख दिनांक 17/05/2006 से पूर्व जिला ग्रामीण विकास अभिकरण,लातेहार के कार्यालय में भेजा जाना आवश्यक है। योजना का जन प्राक्कलन (People’s Estimate)आवश्यक होगा।

- ✓ उपरोक्त कार्यक्रम अंतर्गत ग्राम सभा के कुशल संचालन व अधिकाधिक जनसहभागिता सुनिश्चित करने हेतु ग्राम स्तर पर व्यापक प्रचार प्रसार की आवश्यकता होगी, जिसके लिये प्रत्येक प्रखंड में साक्षरता अभियान के अंतर्गत गठित ‘कला जत्था’ का सहयोग प्राप्त किया जाना अपेक्षित है।प्रखंड या पंचायत स्तर पर उपलब्ध अन्य सांस्कृतिक मंडलियों या समूहों का भी सहयोग प्राप्त किया जा सकता है तथा आकस्मिकता अंतर्गत प्राप्त राशि का उपयोग प्रचार प्रसार हेतु किया जा सकता है। लेकिन यह सुनिश्चित किया जाय कि ग्राम सभा आयोजन के कम से कम एक सप्ताह पूर्व प्रत्येक राजस्व ग्राम में कला जत्था एवं सांस्कृतिक मंडलियों के माध्यम से ग्राम सभा के उद्देश्य, कार्यक्रम, ग्राम सभा का स्थल एवं दायित्वों के संबंध में जनजागरूकता अभियान चलाया जावे,जाकि अधिकाधिक जनसहभागिता के माध्यम से योजना के संचालन को सुनिश्चित किया जा सके।

उपरोक्त निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन,

कमल किशोर सोन
उपायुक्त सह जिला कार्यक्रम समन्वयक,
‘राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना’,लातेहार।

प्रतिलिपिः -उप विकास आयुक्त, लातेहार/अपर समाहर्ता,लातेहार/निदेशक,लेखा प्रशासन/मेसो पदाधिकारी, लातेहार/अनुमण्डल पदाधिकारी,लातेहार/भूमि सुधार उप समाहर्ता,लातेहार/जिला से प्रतिनियुक्त सभी प्रखंड स्तरीय वरीय प्रभारी/कार्यपालक अभियंता,लघु सिंचाई/कार्यपालक अभियंता, ग्रा0वि0वि0प्र0/ कार्यपालक अभियंता,एन0आर0ई0पी0/जिला कल्याण पदाधिकारी, लातेहार/सभी अंचल अधिकारी,लातेहार जिला को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

कमल किशोर सोन
उपायुक्त सह जिला कार्यक्रम समन्वयक,
‘राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना’,लातेहार।